



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28163

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 811 वर्ष 2026

भारत कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: वरुण कुमार चौबे
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ल को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थीगण उक्त आदेश से स्वयं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित अनुभव करें, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34/35 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही में दिनांक 25.10.2023 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध उक्त आदेश को निरस्त किए जाने हेतु पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे वाद संख्या आर.एस.टी./257/621/2012-13, संगणकीकृत वाद संख्या टी2012156439 के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो अभी तक लंबित है; अतः उक्त आवेदन के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थना की गई है।
4. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आवेदन का निस्तारण विधि के अनुरूप, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तीन माह की अवधि के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, सुनिश्चित करें।

दिनांक : 9 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।